

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार,  
राजस्थान परिमंडल, सरदार पटेल मार्ग,  
सी-स्कीम, जयपुर-302008



भारत संचार निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)  
**BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED**  
(A Govt. of India Enterprise)

जयपुर दिनांक 15.03.2023

**आदेश**

**विषय : गुजरात दूरसंचार परिमंडल से राजस्थान दूरसंचार परिमंडल में नियम -8 के तहत अंतर परिमंडल स्थानांतरण आदेश - तैनाती के संबंध में ।**

मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार, गुजरात दूरसंचार परिमंडल के पत्र सं Staff/19-5/IC/JTO/2019/E59524/129 दिनांक 06.07.2022 के अनुसरण में, मुख्य महाप्रबंधक, राजस्थान दूरसंचार परिमंडल, जयपुर के अनुमोदन से निम्नलिखित कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी, जिन्होंने राजस्थान परिमंडल में 06.03.2023 को रिपोर्ट किया है, के नियम -8 के तहत गुजरात दूरसंचार परिमंडल से राजस्थान दूरसंचार परिमंडल में अपने स्वयं के खर्च एवं अनुरोध पर बिना आपसी विनिमय के अंतर परिमंडल स्थानांतरण पर निम्नानुसार पोस्टिंग आदेश सहर्ष जारी किये जाते हैं :

क्र.सं.	क.दू.अधि. का नाम (श्री)	एचआरएमएस नं.	वर्तमान तैनाती बीए/ओए / इकाई / परिमंडल	स्थानांतरण पर तैनाती बीए/ओए / इकाई / परिमंडल
1	पंकज वशिष्ठ (PANKAJ VASHISHTHA)	200702308	गुजरात दूरसंचार परिमंडल(हिम्मतनगर)	सिरोही ओए

उपर्युक्त स्थानांतरण बीएसएनएल मुख्यालय के पत्र क्रमांक 6-01 / 2007- Restg. दिनांक 07-05-2008 द्वारा जारी की गई और समय-समय पर संशोधित बीएसएनएल कर्मचारी स्थानांतरण नीति के नियम -8 के प्रावधान के तहत और निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है :-

1. एग्जीक्यूटिव टीए / टीपी और जवाइनिंग समय के लिए हकदार नहीं होगा।
2. एग्जीक्यूटिव, नई इकाई में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख को, उस इकाई की ग्रेडेशन लिस्ट में उस इकाई के सभी कार्मिकों से, उस तारीख को उस ग्रेड में नियुक्ति के लिए अनुमोदित सभी व्यक्तियों सहित, कनिष्ठ (जूनियर) होगा।
3. एग्जीक्यूटिव बिना शर्त के नई इकाई की पदक्रम सूची (ग्रेडेशन लिस्ट) में वरिष्ठता को स्वीकार करने के लिए सहमत है जैसा कि बीएसएनएल कर्मचारी स्थानांतरण नीति के नियम -8 में निर्धारित है।
4. एग्जीक्यूटिव नई इकाई में 5 साल की सेवा पूरी होने से पहले अपने मूल इकाई में फिर से स्थानांतरण नहीं माँगेगा।
5. एग्जीक्यूटिव नए परिमंडल में पदक्रम सूची (ग्रेडेशन लिस्ट) में अपनी स्थिति के अनुसार नई इकाई में स्थायीकरण / विभागीय परीक्षा के लिए पात्र होगा।

1/2

*Pankaj Kumar*

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार,  
राजस्थान परिमंडल, सरदार पटेल मार्ग,  
सी-स्कीम, जयपुर-302008



भारत संचार निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)  
**BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED**  
(A Govt. of India Enterprise)

6. एग्जीक्यूटिव पुरानी इकाई में अपने सभी दावों को छोड़ना स्वीकार करता है, भले ही एक स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो या पद के पूर्वव्यापी स्थायित्व या किसी अन्य कारण से उपलब्ध हो जाए।
7. मूल इकाई में काम करते हुए विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने पर पदोन्नति के लाभ के लिए दावा, इस शर्त के अधीन है - उसके द्वारा इस आशय का एक अनुरोध, परिणाम घोषित होने या चयनित सूची में स्थान पाने के छह महीने के भीतर किया जाता है।
8. राजस्थान दूरसंचार परिमंडल में अंतर परिमंडल हस्तांतरण पर उपरोक्त बिंदुओं पर अधिकारी से एक नई घोषणा प्राप्त की जाए और उसकी सेवा पुस्तिका में चिपकाई जाए।
9. एग्जीक्यूटिव उन सभी नियम और शर्तों को स्वीकार करेगा जैसा कि पत्र संख्या 6-1 / 2007- Restg. दिनांक 07-5-2008 द्वारा अधिसूचित, समय-समय पर संशोधित बीएसएनएल कर्मचारी स्थानांतरण नीति में निर्धारित है।
10. इस आदेश की प्रति एग्जीक्यूटिव की सेवा पुस्तिका में चिपकाई जाए।
11. कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी आगे की तैनाती के लिए नए बीए/ओए / इकाई को रिपोर्ट करेगा।

भारमुक्त करने /जॉइन करने की तिथि इस कार्यालय को सूचित की जाए और आवश्यक चार्ज रिपोर्ट सभी संबंधितों को दी जाए। भारमुक्त करने / जॉइन करने की प्रविष्टियाँ **ईआरपी / सर्विस बुक** में भी की जानी चाहिए।

यह मुख्य महाप्रबंधक, बीएसएनएल, राजस्थान दूरसंचार परिमंडल के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

15.03.2023

*Vivek Kumar*

(विवेक कुमार )

सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक)

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सहायक महाप्रबंधक ( स्थापना -IV), बीएसएनएल निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।
2. मुख्य महाप्रबंधक, गुजरात दूरसंचार परिमंडल ,टेलीफोन भवन ,सीजी रोड नवरंगपुरा अहमदाबाद 380006 को उनके पत्र सं. Staff/19-5/IC/JTO/2019/E59524/129 दिनांक 06.07.2022 के संदर्भ में।
3. महाप्रबंधक, उदयपुर , बीए। यह अनुरोध किया जाता है कि इस आदेश की प्रति घोषणा सहित एग्जीक्यूटिव की सेवा पुस्तिका में चिपकाई जाए।
4. महाप्रबंधक ( सतर्कता ) परिमंडल कार्यालय, जयपुर।(राजस्थान इंटरनेट पोर्टल के माध्यम से)।
5. लेखाधिकारी (रोकड़) / लेखाधिकारी ( स्था.) / सहा.निदेशक (कार्मिक ) / (स्टाफ) / (सीआर एंड सीजीए) / (एमआरएस) / (कार्मिक - ईआरपी), परिमंडल कार्यालय, जयपुर। (राजस्थान इंटरनेट पोर्टल के माध्यम से)।